

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, अम्बा।

(E-mail-ID-eenorthkoelamba@gmail.com)

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या -01/2023-24

पत्रांक -

अम्बा

दिनांक-

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, अम्बा।
- 2 निविदा प्रपत्र की बिक्री की तिथि : दिनांक 29.01.2024 से 02.02.2024 तक (कार्यालय अवधि में)।
- 3 निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक 03.02.2024 अपराह्न 3.00 बजे तक।
- 4 तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 03.02.2024 के अपराह्न 03.30 बजे तक।
- 5 निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय: : क. मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद।  
ख. अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल, औरंगाबाद।  
ग. कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, अम्बा।
- 6 निविदा खोलने का स्थान: : क्रमांक - 1 में वर्णित के कार्यालय में।

7. कार्य का विवरण -

| क्रम सं० | कार्य का नाम  | प्राक्कलित राशि (रु० में) | अग्रधन की राशि (रु० में) | परिमाण-विपत्र का मूल्य (रु० में) लौटाया नहीं जायेगी। | कार्य पूर्ण करने की अवधि। |
|----------|---|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| 1        | 2   | 3                         | 4                        | 5  | 7                         |
| 1        | उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल अम्बा अन्तर्गत निरीक्षण भवन का सम्पोषण कार्य। | 2,31,230.00               | 4700.00                  | 500.00   | 25.02.2024                |

8. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम, आर्हता, अग्रधन का स्वरूप, निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही विस्तृत सूचना वेबसाइट [www.wrdbihar.gov.in](http://www.wrdbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता को कार्यक्षेत्र के जिला अन्तर्गत का पथ निर्माण विभाग के कार्यालय से समुचित श्रोणी में निबंधित होना आवश्यक है। तत्संबंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

2. निविदा मे भाग लेने वाले संवेदक को जी० एस० टी० (G.S.T.) के अन्तर्गत निबंधित होना आवश्यक है एवं निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया जायेगा, कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल अम्बा के पदनाम से राष्ट्रीयकृत बैंक/अधिसूचित बैंक से ड्राफ्ट के रूप में निर्गत हो तथा भारतीय स्टेट बैंक में भुगतेय हो। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि प्राप्त कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी। उक्त बैंक ड्राफ्ट (मूल में) कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल अम्बा/अधीक्षण अभियंता, उत्तर कोयल नहर अंचल औरंगाबाद/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग औरंगाबाद के कार्यालय में परिमाण विपत्र खरीदते समय जमा किया जाना आवश्यक होगा।
4. अग्रधन की राशि कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल अम्बा के नाम से विधिवत प्रतिज्ञित कराना होगा। अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक का सावधि जमा (1/2/3 वर्षीय) /एन० एस० सी० अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल अम्बा के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित हो, स्वीकार किये जायेंगे। निविदा सूचना निर्गत की तिथि के पूर्व प्रतिज्ञित की मान्यता नहीं दी जायेगी। यह राशि परिमाण विपत्र में अंकित प्राक्कलित राशि का 2 प्रतिशत (100 के गुणक) में होगा।
5. यंत्र सयंत्र गुणवता उपकरणों का सवामित्व प्रमाण पत्र अथवा निविदाकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति /फर्म से यंत्र /सयंत्र उपलब्ध कराने का प्रतिशपथ पत्र साथ ही ब्यहृत होने वाले यंत्र सयंत्र की ब्यवस्था करने संबंधि प्रमाण पत्र।
6. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र (छः माह के अन्दर का ) उस जिले के जिलाधिकारी / आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिये। पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में कमशः प्राइम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।
7. कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक मशीनों एवं यंत्र सयंत्र एवं गुण नियंत्रण उपकरणों के सवामित्व प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा बिड के साथ संलग्न करना होगा। नये ब्यवस्था से यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक मशीनों एवं यंत्र सयंत्र एवं गुण नियंत्रण उपकरणों की ब्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं करनी होगी/ निविदादाता अगर किसी व्यक्ति / /फर्म यंत्र सयंत्रों की ब्यवस्था संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध करने की स्थिति में विभाग द्वारा इसकी सत्यता एवं कार्यभार के संबंध में संतुष्ट हो लिया जायेगा।
8. संवेदक द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जयेगा।
9. निविदादाताओ को आवंटित कार्य से संबंधित सभी सामाग्री के कय का प्रमाणक जिसमें उनकी विशिष्टि का स्पष्ट वर्ण हो, समर्पित करना होगा। जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।
10. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद मे कोई भी दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।
11. संवेदक द्वारा विविध कार्यों के लिये एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-02 पर किष जाता है तथा पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या-ए०-21 नियम 08/92-6113(ए) दिनांक 18.01.1992 से एरारनामा प्रपत्र एफ 02 की कंडिका -23 को विलोपित माना जायेगा।

12. निविदा में सफल संवेदक के एरारनामा करने के उपरान्त साप्ताहिक गार मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।
13. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवु परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।
14. कार्य की प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है। अतएव परिमाण विप. के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा।
15. निविदादाताओं को दो मुहरबंद लिफाफों में निविदा दस्तावेज समर्पित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनीकी निविदा तथा दूसरे लिफाफे पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा तकनीकी निविदा के लिये होगा। तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में समुचित श्रेणी में निबंधित, वस्तु एवं सेवा कर निबंधन संख्या, पैन संख्या, चरित्र प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा वांछित अग्रधन की राशि जमा करना होगा। द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में दर अंकित कर (अंक एवं शब्द दोनों में) जमा करना होगा।
16. निविदादाताओं को पार्टनरशिप डीड / मेमोरंडम आफ एसोसिएसन/पावर आफ एटोमी/एथोरटी लेटर की सत्यापित प्रति आवश्यकता अनुसार तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
17. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाश घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खेली जायेगी।
18. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कर देना हांगा अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
19. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4439(E) दिनांक 17.07.2023 के कम में पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 447(S) दिनांक 16.01.2020 –सह-पठित ज्ञापांक 444(S) दिनांक 16.01.2020 तथा जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक 536 दिनांक 18.07.2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धती में निविदा दर की न्यूनतम सीमा को समाप्त कर परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धत दर वाले के लिए Additional Performance Guarantee को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
20. निविदादाताओ का दायित्व होगा की निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल पर कार्य की प्राक्कलित एवं कार्य सम्पादन में आने वाली कठिनाइयों से स्वयं अवगत हो लें। एकरारनामा सम्पादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य सम्पादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दण्डात्मक कार्यवाई के भागी होंगे।
21. कार्य के पूर्ण होने तक सामाग्रियों की सुरक्षा एवं भण्डारण की ब्यवस्था का दायित्व संवेदक का होगा।
22. वस्तु सेवा कर, आयकर, एवं श्रम कल्याण निधि (लेबर सेस) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
23. विना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। रद्द किये गये निविदा के लिय किसी प्रकार का स्पष्टिकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले बाध्य नहीं होंगे।
24. एक से अधि निविदाकार के द्वारा सामान्य न्यूनतम दर उद्धत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 163 कके प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से

किया जायेगा।

25. स्वामित्व एवं Seignorage Fee (मालिकाना फीस) के संबंध में विभागीय प्रत्रांक 509 दिनांक 06.12.2019 का अनुपालन करना होगा।
26. निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना होगा।

" I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as blacklisting.

sd/-

कार्यपालक अभियंता,  
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, अम्बा।


पत्रांक:.....50.....

अम्बा

दिनांक.....25.01.2024

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना की एक प्रति Hard copy एवं Soft copy के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर प्रकाशन हेतु समर्पित।

अनु०:-यथोक्त।

  
25.01.24

कार्यपालक अभियंता  
उत्तर कोयल नहर प्रमण्डल, अम्बा।